लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतमनगर भोपाल–462021
दूरभाष: 91–755–2583650, फैक्स: 2583651,ई–मेल dpividhya@gmail.com

क्रमांक– विद्या/डी/निःपा.पु./2019–20/Lmsm/2681 भोपाल, दिनांक 24.8.2019

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश,

विषयः– शिक्षण सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना अंतर्गत (कक्षा 11 वीं एवं 12वीं) हेतु ऐसी पुस्तकें जो मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, के स्थानीय क्रय हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/आर0एम0एस0ए0/2019/1468–69/ भोपाल दिनांक 25.04.2019

---00---

शिक्षा सत्र 2019–20 हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में (कक्षा 11 वीं से 12 वीं) हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण के संबंध में दिशा–निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक/आर0एम0एस0ए0 /2019/1468–69/ भोपाल दिनांक 25.04.2019 को जारी किए गए है।

1. संदर्भित पत्र में यह स्पष्ट लेख था कि वर्ष 2019–20 में कक्षा 11 वीं के लिए कला संकाय में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू की जा रही हैं। अतः इतिहास, राजनीति विज्ञान, सामाजशास्त्र, भूगोल अर्थशास्त्र की पुस्तकें पाठ्यपुस्तकें निगम द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराई जा रहीं है।
2. इसके अतिरिक्त गणित, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में पूर्व से ही एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू हैं। वर्ष 2019–20 में कक्षा 11वीं मनोविज्ञान विषय में भी एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू की गई है, किन्तु विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम होने से मनोविज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक मुद्रित नहीं कराई गई हैं। शाला स्तर से मनोविज्ञान विषय की कक्षा 11वीं की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें क्रय कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. कक्षा 11 एवं 12 वीं की ऐसी पुस्तकें जो मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। ऐसी पुस्तकों को प्राचार्यो द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की जाकर वितरित की जाना हैं इस हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

3.1 संस्था प्राचार्य द्वारा कक्षा कक्षा 11वीं के लिए कृषि, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि संकाय की तथा कक्षा 12 के लिए ऐसी पुस्तकें जो निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, उनको स्थानीय स्तर पर छात्र–छात्राओं की संख्या अनुसार क्रय की जाकर छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

3.2 जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त प्राचार्यो की बैठक कर कक्षा 11 एवं 12 वीं की ऐसी पुस्तकें जो संस्था प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की गई है, उनपर व्यय राशि की मांग प्राचार्यो से बैठक के दौरान एक ही दिन में प्राप्त की जाये।

3.3 समस्त प्राचार्यो से मांग प्राप्त होने के पश्चात् जिले की कुल आवश्यकता अनुसार पुस्तकों के क्रय की लागत राशि की मांग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् ही उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन जारी किया जायेगा। निर्धारित समय अवधि में अपेक्षित राशि का मांग पत्र प्राप्त न होने पर प्रतिपूर्ति की जाना संभव नहीं होगा।

3.4 किसी भी स्थिति में पुस्तक के स्थान पर गाइड खरीदकर नहीं दी जायेगी। शाला में पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाया जायेगा।

शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11वी से 12वीं तक के समस्त वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु राज्य शासन की लोक कल्याणकारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय किया जाकर समस्त हित ग्राही छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(जय श्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक– विद्या/डी/निःपा.पु/2019-2020/2082 भोपाल दिनांक– 24.8.2019
प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश प्राठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
3. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनजद पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
5. जिला उपायुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, प्राचार्य, शास0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश